



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220798
CG-DL-E-31072020-220798

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2264]
No. 2264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ.2558(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपने नाम और पते के साथ टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर एवं ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना 2021 और जोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग (2021 के अधीन तैयार)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है।	सीमाएँ
योजना जोन -'ई' में आने वाली फल और सब्जी मार्केट, डीएएमबी के समीप पॉकेट-ए आईएफसी गाजीपुर में स्थित क्षेत्र	8094 वर्ग.मी.	व्यावसायिक	उपयोगिता (अपशिष्ट प्रक्रमण संयंत्र)	उत्तर: जोन-ई में उपलब्ध ले-आउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल/पार्किंग। दक्षिण: जोन-ई की क्षे.वि.यो. के अनुसार 30 मी. मार्गाधिकार रोड। पूर्व: जोन-ई में उपलब्ध ले-आउट प्लान के अनुसार 45 मी. मार्गाधिकार रोड। पश्चिम: जोन-ई में उपलब्ध ले-आउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित थोक विक्रय (व्यावसायिक)।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ. 3(01)/96-डायरे.(एस पी)/पार्ट-III/पार्ट फाइल]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O. 2558(E).—The following modification which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan-2021/Zonal Development Plan of Zone 'E' under Section 11A of DD Act 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of **Thirty (30) days** from the date of this Public Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

Location	Area	Land use as per MPD-2021 and ZDP of Zone-E (prepared under 2021)	Land use changed to	Boundaries
Area at Pocket-A, IFC Gazipur near Fruit and Vegetable Market, DAMB, falling in Planning Zone-‘E’	8094 sq.m	Commercial	Utility (Waste Processing Plant)	North: Proposed Truck Terminal/parking as per Layout Plan available in Zone-E. South: 30 m. ROW road as per ZDP of Zone-E. East: 45 m. ROW road as per Layout Plan available in Zone-E. West: Proposed Wholesale (Commercial) as per Layout Plan available in Zone-E.

The text/Plan indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Deputy Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above. The text/plan indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx>.

[F. No. F. 3(01)/96-Dir.(SP)/Pt.III/Pt.file]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.